संख्या- 52 /2018 / 809 /चार-208 -167 (वि0)/ 2017

प्रेषक,

जगत राज
सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2018

विषय:- कला के विविध रूपों एवं प्रदेश के सुविख्यात कलाकारों पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाये जाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3693/सं0नि0-फिल्म विकास/2017-18 टीसी दिनांक 10 मार्च, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कला के विविध रूपों एवं प्रदेश के सुविख्यात कलाकारों पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाये जाने हेतु रू0 100.00 लाख के प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 98.53 लाख (रूपये अठ्ठानबे लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) कला के विविध रूपों एवं प्रदेश के सुविख्यात कलाकारों पर 07 अंचलों पर डाक्यूमेन्ट्री फिल्म बनाये जाने हेतु निदेशक, संस्कृति नियमानुसार संस्थाओं के चयन, कार्यादेश निर्गत करने की कार्यवाही करेंगे।

(2) नियमानुसार कार्य पूर्ण होने/संतुष्ट होने पर ही भुगतान की कार्यवाही निदेशक, संस्कृति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(3) निदेशक, संस्कृति द्वारा उक्त कार्य हेतु एक समिति का गठन कर समिति की संस्तुति के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण हो।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 अगस्त , 2017 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि रू0 98.53 लाख (रूपये अठ्ठानबे लाख तिरपन हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अधीन लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय-14- फिल्मों का विकास (डाक्यूमेन्ट्री आडियों विजुअल) -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन की जायेगी।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई- 7-247 /दस-2018 दिनांक 24 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगत राज)
सचिव

संख्या- /2018/ 809 /चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जगत राज)
सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।